न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 218/2014

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. नारायणलाल पुत्र बचनाराम 2. गजाराम पुत्र नारायणलाल 3. तुलसाराम पुत्र चुन्नीलाल जातियान-मेघवाल, नि0-झांझनवास तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. ओगड़ पुत्र भूरा 2. मोहन पुत्र घीसा जातियान-मेघवाल 3. लिकमाराम पुत्र घीसा सीरवी 4. सुगनकंवर पत्नि भंवरलाल महाजन निवासीगण-झांझनवास 5. तहसीलदार, जैतारण (भूमिधारक) 6. शाखा प्रबंधक, एस.बी.बी.जे. शाखा-जैतारण तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.07.11.2014

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 02/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-झांझनवास, पटवार हल्का-पाटवा, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 14-16 बीघा की आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2069 से 2072 तथा नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के संलग्न पेश की हैं, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी की कृषि भूमि में अपने-अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हैं एवं बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक इसका उपयोग / उपभोग करते आ रहे हैं, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से जमाबन्दी में अंकित हैं। इसी हिस्से अनुसार काबिज हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि में वादी नारायणलाल का 19/98वां हिस्सा वादी संख्या 2 गजाराम का 49/98 हिस्सा वादी संख्या 3 तुलसाराम का (15/49) 1/6 हिस्सा हैं। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ओगड़ पुत्र भूरा का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 मोहन पुत्र घीसा का 1/6 हिस्सा एवं 1/4 हिस्सा हैं। प्रतिवादी संख्या 4 सुगनकंवर का 1/4 का 1/2 यानि 1/8 हिस्सा हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर मना गना बंटवाड़ा किया हुआ हैं एवं मौके पर काबिज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन का मौके पर बंटवाड़ा हो रखा हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा होकर नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम किया हुआ नहीं हैं। इसलिए काश्त में कार्य में परेशानी हो रही हैं। इसलिये कानूनी रूप से उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आराजी कृषि भूमि का बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि होने से वादीगण को उच्च स्तर आधुनिक तरीके से खाद बीज डालकर काश्त करने एवं उपजाऊ बनाने से परेशानी हो रही हैं और वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि में सुधार करने एवं तकनीकी रूप से खेती करने हेतु सरकारी एवं अर्द्धसरकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जब तक वादीगण का हिस्सा उक्त दर्शाये अनुसार कानूनी रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करके पत्थरगढ़ी की जाकर नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं की जाती हैं। तब तक वादीगण को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिये वादीगण की तरफ से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बाबत् बंटवाड़ा का पेश किया हैं। जो आज ही नोटिस डिस्पेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावें। वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि जो उक्त दर्शाये हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी करके इनका हिस्सा नक्शा लट्ठा ट्रेस में दर्शाकर राजस्व रेकर्ड में खाता अलग करने का आदेश फरमावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक का हिस्सा हैं जो राजस्व रेकर्ड में अंकित बदस्तूर मौके पर काबिज हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा करवाने एवं तरमीम करवाने का कहा तो आनाकानी करने लग गये एवं कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया। इसलिये वादीगण की तरफ से बंटवाड़ा करवाने का वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारक (लैण्ड होल्डर) हैं, जो इसको बंटवाड़ा करने का अधिकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं और प्रतिवादी संख्या 6 शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा-जैतारण में रहन होने से आवश्यक पक्षकार होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया, इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। बिनायवाद दिनांक 01/07/14 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा करने का कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करने से मना कर दिया और कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया। तब वादीगण जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 02/07/14 को हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर बमुकाम-ग्राम-झांझनवास, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व हद अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार वाद पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 03/12/2014 की गई।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - पाटवा पर पेश हुई। वस्तुतः वादीगण एवं प्रति0 संख्या 1 से 4 वाद पत्र के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 अनुसार अपने-अपने के दर्ज हिस्से के खातेदार काश्तकार होना बखूबी प्रमाणित हैं। जिससे विवादित भूमि में वादीगण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के विधिक अधिकारी हैं। जिससे पृथक से शहादत वादी लिये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। तहसीलदार, जैतारण को लोक अदालत की भावना से आदेशित किया जाता हैं कि उक्त विवादित भूमि में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादीगण की भूमि का मौके पर तकासमा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मयनक्शा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नजरी पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने आज दिनांक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा फर्द मौका दिनांक 02/06/2015 प्रस्तुत किये, सा0मि0 किया गया।

विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट फर्द मौका दिनांक 02/06/2015 पर वकील मय वादीगण को सुना गया। बंटवाड़ा रिपोर्टानुसार वकील वादीगण ने बंटवाड़ा किये जाने में सहमति व्यक्त कर स्वीकारोक्ति की हैं। लिहाजा वादीगण की वाद माफिक विभाजन / बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री किया जाता हैं तथा पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–झांझनवास, पटवार हल्का–पाटवा, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 14–16 बीघा किस्म चा0प्र0 की भूमि में वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	गजाराम पुत्र नारायणलाल कौम–बावरी सा0 बोयल खातेदार।	236/3	1-05-00	चा0प्र0	0.98 रू.
2	तुलसाराम पुत्र चुनीलाल मेघवाल सा0 साकदड़ा खातेदार।	236/2	0-15-00	चा0प्र0	0.59 रू.
3	नारायणलाल पुत्र बचनाराम कौम–मेघवाल सा0 देह खातेदार।	236/1	0-09-00	चा0प्र0	0.35 रू.
4	ओगड़राम पुत्र भूरा मोहन पुत्र घीसा कौम–भांबी, जी. लिखमाराम पुत्र घीसाराम कौम–सीरवी सुगनकंवर पत्नि भंवरलाल महाजन, जी. लिखमाराम पुत्र घीसाराम कौम–सीरवी सा0 देह खातेदार।	236	12-07-00	चा0प्र0	9.78 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छाया प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 02/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–पाटवा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner